UPRN010036502026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं.14/विशेष न्यायाधीश (बलात्कार एवं पाक्सो एक्ट) कानपुर देहात।

पीठासीन अधिकारी– पीयूष तिवारी(एच.जे.एस.)

J.O. Code– UP 1603

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1430/2026

CNR No–**UPRN010036502026**

विशाल उम्र लगभग 41 वर्ष पुत्र देवदत्त दुबे निवासी माधौपुर थाना ठठिया, जनपद कन्नौज।

... .अभियुक्त

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा डी०जी०सी० फौजदारी कानपुर देहात।

2– वादी मुकदमा राजेश जाटव

3– पीड़िता पुत्री राजेश जाटव

निवासीगण सलेमपुर मजरा काशीपुर थाना रूरा, कानपुर देहात।

4– सी०डब्ल्यू०सी० कानपुर देहात द्वारा अध्यक्ष ।

5– डी०एल०एस०ए० कानपुर देहात द्वारा सचिव।

.....विपक्षीगण

सत्र परीक्षण वाद –881/2026

मु०अ०सं०–75/2026

धारा–137(2),87,64(1) भारतीय न्याय संहिता

एवं धारा ¾ पॉक्सो एक्ट धारा–3(2)V एससी एसटी एक्ट

थाना–रूरा, कानपुर देहात।

अधिवक्ता अभियुक्त – श्री वी०के०सिंह (एड०)।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी सं० 1 – श्री अमित सिंह चौहान (विशेष लोक अभियोजक)

दि.16.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त विशाल पुत्र देवदत्त दुबे की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थन पत्र सं० 1430/2026 संबंधित विशेष सत्र परीक्षण वाद सं० 881/2026 संबंधित मु०अ०सं० – 75/2026 अन्तर्गत धारा 137(2),87,64(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा ¾ पॉक्सो एक्ट धारा–3(2)V एससी एसटी एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के पिता/पैरोकार देवदत्त का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसका कथन है कि वह वाद के तथ्यों से पूर्णतः परिचित है तथा अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है व इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा किसी

अन्य न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व मे न्यायालय द्वारा अदम पैरवी मे निरस्त किया गया था।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र समर्थित शपथपत्र में अभियुक्त पक्ष का कथन है कि अभियुक्त निर्दोष है व उसके विरुद्ध झूठे तथ्यों पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वादी मुकदमा द्वारा तहरीर प्रार्थना पत्र मे पीड़िता की आयु अंकित नही की गयी है, इसके बाद भी पुलिस द्वारा पॉक्सो अधिनियम मे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तहरीर प्रार्थना पत्र मे अभियुक्त नामित नही है। अभियुक्त दिनांक 03.04.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। उसके द्वारा कोई अपराध नही किया गया है तथा उसे पुलिस द्वारा फर्जी तौर पर प्रकरण मे संलिप्त दिखाते हुये गिरफतार किया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह न्यायालय में जमानत प्रस्तुत करना चाहता है। अभियुक्त का न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोड़ कर जाने व गवाहान को प्रभावित करने का कोई अन्देशा नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विचारण जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र के विरुद्ध मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा आक्षेपित घटना की तिथि पर वादी मुकदमा की बड़ी पुत्री, जिसकी आयु घटना के समय लगभग साढे सोलह वर्ष की थी, का उसकी विधिक संरक्षिकता से व्यपहरण किया गया व बादहू नाबालिग पीड़िता को साथ ले जाने के उपरान्त उसके साथ विवाह कर शारीरिक संबंध बनाते हुये बलात्कार का अपराध कारित किया गया। आक्षेपित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने के पर्याप्त आधार नहीं है।

प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण के वादी मुकदमा को विधिवत नोटिस जारी किया गया था। वादी मुकदमा को जारी नोटिस पर उसकी पत्नी सावित्री देवी जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित हुयी जिसके द्वारा जमानत आवेदन की प्रति प्राप्त कर आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गयी। न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी का आवेदन स्वीकार करते हुये उसे अभियुक्त के जमानत आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया परन्तु बार–बार अवसर दिये जाने के बाद भी वादी मुकदमा की पत्नी द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होते हुये आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी। ऐसी दशा मे अभियुक्त के जमानत आवेदन की सुनवाई वादी मुकदमा पक्ष की अनुपस्थिति मे की जा रही है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण मे अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा की पुत्री, प्रकरण की पीड़िता, स्वतः ही अपने पिता का घर छोड़कर जनपद गौतमबुद्ध नगर मे आवेदक/अभियुक्त के पास पहुंच गयी थी, जिस तथ्य की सूचना मिलने पर आवेदक/अभियुक्त के पिता/ पैरोकार द्वारा तुरन्त ही उक्त संबंध मे पुलिस को सूचना दी गयी थी। पुलिस द्वारा उक्त सूचना प्राप्त होने पर अभियुक्त पक्ष से अवैध रूप से धन की मांग की गयी तथा जब वह उक्त मांग को पूरी नही कर सके तो आवेदक/अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण मे पुलिस द्वारा फर्जी तौर पर संलिप्त दर्शा दिया गया। प्रकरण की पीड़िता ने विवेचनात्मक कार्यवाही मे दर्ज कराये गये अपने बयानों मे अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। ऐसे मे आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित किये गये साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता घटना की तिथि पर नाबालिग थी। विवेचनात्मक कार्यवाही मे विवेचक द्वारा पीड़िता की बरामदगी अभियुक्त के पास से की गयी है। पीड़िता ने विवेचनात्मक कार्यवाही मे बयान देते हुये अभियुक्त के साथ विवाह करने व शारीरिक संबंध बनाने का कथन किया है। ऐसे में आक्षेपित अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत उसका प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना व प्रकरण से संबंधित सत्र परीक्षण वाद संख्या 881/2026, मु०अ०सं०– 75/2026, सरकार बनाम विशाल आदि अन्तर्गत धारा 137(2),87,64(1), 65(1)भारतीय न्याय संहिता एवं धारा ¾ पॉक्सो एक्ट धारा–3(2)V एससी एसटी एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात की पत्रावली तथा जमानत आवेदन पर प्रस्तुत पुलिस आख्या का सम्यक परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण मे अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उसके द्वारा दिनांक 05.03.2026 की तिथि पर वादी मुकदमा की नाबालिग बड़ी बेटी उम्र करीब साढे सोलह वर्ष का बहला फुसला कर उसकी विधिक संरक्षकता से व्यपहरण किया गया तथा बादहू उसे साथ ले जाने के उपरान्त उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुये प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध कारित किया गया।

पत्रावली पर संलग्न वादी मुकदमा द्वारा थाना रूरा मे प्रस्तुत किये गये तहरीर प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उसमे यह उल्लिखित है कि आक्षेपित घटना की तिथि पर वादी मुकदमा की दोनो पुत्रियां घर से बाजार जाने की बात कह कर निकली थी। उनके वापस न आने पर जब वादी मुकदमा ने उन्हें फोन किया था तो उन्होंने यह बताया था कि वह सोनीपत जा रही है। तहरीर प्रार्थना पत्र मे किये गये अंकन से यह प्रथम दृष्टया अवधारणा कायम होती है कि नाबालिग पीड़िताये अपने पिता के घर से अकेले बाजार के लिए निकली थी।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा दिनांक 02.04.2026 की तिथि पर तहरीर प्रार्थना पत्र मे नामित वादी मुकदमा की दोनो पुत्रियों, प्रकरण की पीड़िताओं को, थाना रूरा के गेट के पास से बरामद किया गया था जिनके साथ आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्त कृष्णा मौजूद थे, जिन्हें उनके जुर्म से अवगत कराते हुये पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया था। पत्रावली पर संलग्न पीड़िताओं की फर्द बरामदगी प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुलिस द्वारा पीड़िताओं की अभियुक्त के पास से की गयी कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना नही बताया गया है।

विवेचक द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही मे महिला आरक्षी के माध्यम से वादी मुकदमा की बडी पुत्री, पीड़िता संख्या 1, का बयान अंतर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंकित किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उसमे पीड़िता ने यह अभिकथित किया है कि वह दिनांक 05.03.2026 को अपने घर मे स्कूल जाने का कहकर निकली थी परन्तु स्कूल न जाकर शिवली मे अभियुक्त विशाल से मिलने गयी थी जिससे वह लगभग 5 महीनों से बात करती थी। तदुपरान्त वह अभियुक्त के साथ इटावा होते हुये नोएडा चली गयी थी जहां उन्होने मंदिर मे विवाह कर लिया था तथा पति –पत्नी की तरह रह रहे थे। यह जानकारी होने पर कि उसके पिता ने थाने मे

प्रार्थना पत्र दिया है, वह स्वतः ही रूरा थाने आ गये थे। पीड़िता का बयान मे यह भी कथन है कि अभियुक्त द्वारा उससे जबरदस्ती नही की गयी है तथा वह स्वतः घर से गयी थी व अभियुक्त के साथ विवाह किया था।

विवेचक द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही मे पीड़िता संख्या 1, को धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस बयान को उसके द्वारा अवलोकन उपरान्त केस डायरी के पर्चा संख्या 10 मे किता किया गया है। अपने इस बयान मे पीड़िता संख्या 1 ने कथन किया है कि वह पिछले छः माह से अभियुक्त से प्यार करती है तथा उसने अभियुक्त के साथ विवाह करने की बात अपने घर वालों के सामने रखी थी परन्तु उन्होने इंकार कर दिया था। उपरोक्त कारणवश वह दिनांक 05.03.2026 को घरवालों को बिना बताये अभियुक्त के साथ नोएडा चली गयी थी जहां उन्होने मंदिर मे शादी कर ली थी तथा पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। पिता द्वारा थाने पर अभियोग पंजीकृत कराये जाने की सूचना प्राप्त होने पर वह अभियुक्त के साथ स्वतः ही थाना रूरा आयी थी जहां पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ लिया था। साक्षी के उपरोक्त बयान से पुनः यह स्पष्ट होता है कि वह आक्षेपित घटना की तिथि पर अपनी स्वतंत्र इच्छा से घर से जाना तथा अभियुक्त के साथ विवाह करना बताती है तथा इस संबंध मे अभियुक्त द्वारा उसके साथ कोई भी जबरदस्ती किये जाने के तथ्य से इंकार करती है।

विवेचक द्वारा पीड़िता संख्या 1 को बरामदगी उपरान्त चिकित्सीय परीक्षण जांच हेतु जिला महिला चिकित्सालय की आकस्मिक चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिनकी चिकित्सीय आख्या पत्रावली पर संलग्न है। पीड़िता संख्या 1 की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा महिला चिकित्सक को भी घटना का वैसा ही विवरण बताया गया था, जैसा कि उसने पुलिस व न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिये बयानों मे बताया था। चिकित्सीय परीक्षण आख्या से स्पष्ट होता है कि चिकित्सक ने पीड़िता संख्या 1 के शरीर पर किसी बाहरी अथवा अंदरूनी चोट का होना नही पाया गया है।

विवेचनात्मक कार्यवाही मे विवेचक द्वारा पीड़िता संख्या 1 के शिक्षा गृहण करने वाले प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर, विकास खण्ड मैंथा, कानपुर देहात जाकर प्रधानाचार्य से पीड़िता की विद्यालय अभिलेखों मे दर्ज जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र को प्राप्त कर केस डायरी का भाग बनाया गया है। वाद की पत्रावली पर संलग्न उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उसमें पीड़िता संख्या 1 पुत्री राजेश कुमार की जन्मतिथि दिनांक 25.07.2009 होना बतायी गयी है जिसके आधार पर गणना करने पर पीड़िता संख्या 1 की आयु आक्षेपित घटना की तिथि पर 16 वर्ष 7 माह व 8 दिन की होना आती है, जिस आधार पर अभियोजन पक्ष पीड़िता संख्या 1 को घटना की तिथि पर नाबालिग बताता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवेचनात्मक कार्यवाही मे दर्ज बयानों मे पीड़िता संख्या 1 द्वारा आक्षेपित घटना की तिथि पर अपनी स्वतंत्र इच्छा से घर से जाने व बादहू अभियुक्त से विवाह करने की बात बतायी गयी है। पीड़िता संख्या 1 के चिकित्सीय परीक्षण मे चिकित्सक ने उसके शरीर पर किसी चोट का होना नही पाया गया है। अभियोजन पक्ष ने विद्यालय अभिलेखों मे दर्ज जन्मतिथि के आधार पर पीड़िता संख्या 1 का घटना की तिथि पर नाबालिग होना बताया है। विद्यालय

अभिलेखों मे पीड़िता संख्या 1 की जो जन्मतिथि अंकित है, वह सही है अथवा नही, इस पर कोई भी निष्कर्ष इस स्तर पर अंतिम रूप से नही दिया जा सकता। इस स्तर पर यह भी प्रथम दृष्टया विचारण योग्य है कि चिकित्सीय परीक्षण करते हुये चिकित्सक द्वारा पीड़िता संख्या 1 की आयु निर्धारण हेतु उसे मुख्य चिकित्साधिकारी कानपुर देहात द्वारा गठित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रेफर किया गया था परन्तु विवेचक द्वारा पीड़िता संख्या 1 को इस हेतु संबंधित चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। सम्पूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही मे विवेचक द्वारा, इस तथ्य की पुष्टि हेतु कि अभियुक्त व पीड़िता संख्या 1 द्वारा मंदिर मे विवाह करने के उपरान्त पति–पत्नी के रूप मे साथ रहा गया था, जनपद गौतमबुद्ध नगर जाकर कोई विवेचना नही की गयी है। प्रकरण प्रेम प्रसंग पर आधारित है। आवेदक/अभियुक्त नवयुवक है जिसका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना नही बताया गया है। वह प्रस्तुत प्रकरण मे दिनांक 03.04.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है।

ऐसे में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस मामले के गुणदोष पर बिना कोई मत प्रकट किये यह न्यायालय अभियुक्त को उक्त अपराध में जमानत पर रिहा किये जाने का न्यायोचित आधार पाती है। तदनुसार अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विशाल पुत्र देवदत्त कुमार की ओर से संबंधित सत्र परीक्षण वाद संख्या 881/2026, मु०अ०सं०– 75/2026, सरकार बनाम विशाल आदि अन्तर्गत धारा 137(2),87,64(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा ¾ पॉक्सो एक्ट धारा–3(2)V एससी एसटी एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के प्रकरण में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं० 1430/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुबलिग 75,000/–रू धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभूगण व इस आशय़ की अंडरटेकिंग, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर कि, वह वाद में नामित साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा, न ही उसके द्वारा उन्हें डराया धमकाया जायेगा तथा उसके द्वारा न्यायालय में नियत तिथियों पर उपस्थित होते हुए वाद के त्वरित निस्तारण में पूर्ण सहयोग किया जायेगा, उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

(पीयूष तिवारी)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.14
(बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट)
कानपुर देहात।
J.O. Code– UP 1603

Digitally signed by PIYUSH TIWARI
Date: 2026.07.16 16:25:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court